ANNEXURE 1.IX
(Ref. Para 1.5.7 5R)

. रामेश्वर उराँव
यक्ष
पूर्व सांसद-लोकसभा)
जनजातीय कार्य राज्यमन्त्री)

. RAMESHWAR ORAON
airman
Member Parliament-LS)
rmer Minister of State for Tribal Affairs)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छठी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली -110003

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Tel. :(O) 011-24635721
Fax :(O) 011-24624628

अ0शा0 पत्र सं0 27/4/एनसीएसटी/2009-प्रशा0 13 **जनवरी**, 2011

आदरणीय मुखिया जी,

मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में उसके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए

2. आयोग में समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 124 है जिनमें से 52 पद रिक्त हैं। आयोग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों अर्थात् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार अनुरोध कर रहा है। फिर भी, इन पदों, विशेष रूप से संयुक्त संवर्ग के पदों को भरने के लिए आयोग द्वारा सभी प्रयास करने के बावजूद भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए आयोग का दृष्टिकोण यह है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित पदों के लिए एक अलग संवर्ग के सृजन पर विचार करना चाहिए (यदि वांछनीय हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ) ताकि आयोग में विभिन्न पदों की रिक्तियाँ किसी भी समय लम्बी अवधि तक बिना भरे न रह सके।

3. मुख्यतः, आयोग में वरिष्ठ अन्वेषकों (6) और अन्वेषकों (9) की अत्यन्त कमी है जिसका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अंतरिम समाधान के रूप में, भर्ती नियमावली को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य लंबित रहने के कारण, जैसा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सुझाव दिया है, आयोग ने 2008 में संविदा आधार पर वरिष्ठ अन्वेषकों एवं अन्वेषकों को लगाने का प्रस्ताव किया, जिस पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तत्काल विचारण की आवश्यकता है। इस बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव के दिनांक 04-01-2011 के अ0शा0 पत्र संख्या 1/2/एनसीएसटी/2008-प्रशा0 जो सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा गया था, का भी संदर्भ ले। वरिष्ठ अन्वेषक, अन्वेषक और स्टाफ कार चालकों के पदों के लिए भर्ती नियमों के प्रारूप पर भी जनजातीय कार्य मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित है।

4. आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की 33वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में उल्लिखित सिफारिशों के अनुरूप अपनी श्रम शक्ति और क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रस्ताव भी भेजा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 24-05-2010 के पत्र संख्या 48011/1/2010-स्था0 द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जिन्हें आयोग के दिनांक 21-06-2010 के समसंख्यक पत्र द्वारा भेज दिया गया था। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित है।

5. ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं आभारी रहूँगा यदि आप लंबित प्रस्तावों पर तत्काल ध्यान दें। मैं आयोग के अन्य सदस्यों के साथ आप से मिलकर मामले पर व्यक्तिगत रूप से यथाशीघ्र चर्चा करना चाहूँगा। कृपया कोई तिथि निर्धारित कर दें। सादर.

आपका,

(डा0 रामेश्वर उरांव)

श्री कांती लाल भूरिया,
माननीय जनजातीय कार्य मंत्री,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली